REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
Plot No. 14-15, Meena Colony, Behind Jail, Sawai Madhopur - 322001
Phone- 07462-294921 Email-rorpcb.swm@gmail.com

Registered/E-mail

RO/RPCB/SWM/KRL-1134/810-815 Date: 13/07/2026

Member Secretary,
State Level Expert Appraisal Committee, Rajasthan
4, Institutional Area, Jhalana Doongri
Jaipur.

Subject:- Minutes of Public Hearing dated 01.07.2026 conducted for Environmental Clearance of M/s Coral Associates for their proposed Plot No.- 30, Khasra No. 1532/1619, of Sand Stone (Minor Mineral) Mining Project, Area – 1.290 Ha. (Proposed), Production Capacity – 116428 TPA (ROM), Cluster Area :- 9.044 Ha., Near Village Kota, Tehsil- Masalpur, Distt. Karauli (Raj.)

Ref:- 1. Office of the District Collector Sawai Madhopur letter no.1440 dated 12.05.2026.
2. Public hearing conducted on 01.07.2026 at **Bharat Nirman Rajeev Gandhi Seva Kendra Gram Panchayat – Kota (Chawar), Tehsil – Masalpur, District - Karauli.**

Respected Sir,

Please find enclosed herewith minutes of public hearing dated 01.07.2026 conducted at **Bharat Nirman Rajeev Gandhi Seva Kendra Gram Panchayat – Kota (Chawar), Tehsil – Masalpur, District – Karauli.** for Environmental Clearance M/s Coral Associates for their proposed Plot No.- 30, Khasra No. 1532/1619, of Sand Stone (Minor Mineral) Mining Project, Area – 1.290 Ha. (Proposed), Production Capacity – 116428 TPA (ROM), Cluster Area :- 9.044 Ha., Near Village Kota, Tehsil- Masalpur, Distt. Karauli (Raj.)

Information regarding the public hearing was published by project proponent on 15.05.2026 in newspaper of Karauli edition of The Indian Express and on 15.05.2026 in newspaper of Karauli edition of Dainik Bhaskar.

The public hearing of the above proposed mining project was conducted on 01.07.2026 and proceeding of the same is hereby enclosed in original along with pen drive of videography carried during public hearing, photography, attendance sheet and copy of newspaper published as above mentioned.

Enclosed:-

1. Minutes of meeting of public hearing in original (5 pages).
2. Attendance sheet of persons present during public hearing in original (3 pages).
3. Videography of public hearing in Pen drive & Photographs.
4. Copy of newspapers published dated 15.05.2026 and 15.05.2026.

Yours sincerely

(Baljeet Meena)
Regional Officer O/c

REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
Plot No. 14-15, Meena Colony, Behind Jail, Sawai Madhopur - 322001
Phone- 07462-294921 Email-rorpcb.swm@gmail.com

Copy to the following for information & necessary action :-

1. The Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board, 4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur.
2. The District Collector Office, Karauli.
3. Sub Divisional Officer and Sub Divisional Magistrate, Karauli.
4. Analyst Cum Programmer , Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur with request to upload the proceeding of public hearing on Board's website.
5. M/s Coral Associates, 2nd Floor, Cabin No.4, Corporate Tower, R.S.G., The Universe Campus, Hiran Mangri, Extension, Opp. Sector 9, Udaipur (Rajasthan).

Regional Officer O/C

(Public Hearing Minutes of Meeting)

पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु जनसुनवाई दिनांक 01.07.2026 का कार्यवृत

मैसर्स कोरल एसोसियेटस द्वारा प्रस्तावित सेण्ड स्टोन (Minor Mineral) खनन परियोजना , प्लॉट न. 30, खसरा न. 1532 / 1619, एरिया 1.290 हैक्टर, उत्पादन क्षमता– 116428 टन (ROM), कलस्टर क्षेत्रफल – 9.044 हैक्टर, निकट ग्राम– कोटा, तहसील – मासलपुर व जिला– करौली, (राजस्थान) के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक पर्यावरणीय जन सुनवाई दिनांक 01.07.2026 को दोपहर 01:00 बजे ग्राम पंचायत – कोटा (छावर) के ''भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र'' ग्राम कोटा (छावर), तहसील– मासलपुर, जिला– करौली में श्री अनिल कुमार उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, करौली (जिला कलेक्टर करौली के प्रतिनिधी) एवं श्री बलजीत मीणा, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सवाई माधोपुर की उपस्थिति में आयोजित की गई। जनसुनवाई के दौरान 26 लोग उपस्थित रहे। **(उपस्थिति पत्र ''परिशिष्ट अ'' पर संलग्न है)**।

जनसुनवाई के लिए नियमानुसार आमसुचना समाचार पत्र ''द इंडियन एक्सप्रेस'' करौली संस्करण में दिनांक 15 / 05 / 2026 तथा ''दैनिक भास्कर''में दिंनाक 15 / 05 / 2026 को प्रकाशित करवा दी गयी थी एंव मुनादी एक दिवस पुर्व दिनांक 30.06.2026 को ग्राम कोटा एवं ग्राम पंचायत – कोटा (छावर), में करवाई गई।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

(बलजीत मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
सवाई माधोपुर

सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सवाई माधोपुर द्वारा उपखण्ड अधिकारी, करौली एवं उपस्थित आगजन का स्वागत करते हुऐ बताया कि आज की जनसुनवाईयॉ सेण्ड स्टोन (Minor Mineral) की 8 खनन परियोजनाओं जो कि प्लॉट संख्या 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 एंव 34 के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत यह जनसुनवाई आयोजित कि जा रही है। जिनमें प्लॉट संख्या 27, 28, 29, 30, 31 एंव 32 मैसर्स कोरल एसोसियेटस द्वारा प्रस्तावित है एवं प्लॉट संख्या 33 एवं 34 मैसर्स फिन्नुराम मीणा द्वारा प्रस्तावित है। यह जनसुनवाई प्लॉट संख्या 30 के लिए की जा रही है जिसमें खनन परियोजना पर्यावरणीय सलाहकार आपको परियोजना के बारे में विस्तार से बताएगें जिसके उपरान्त इस परियोजना से सम्बन्धित आपके सुझाव एवं आपत्तियाँ ली जाऐगी, जो आप केमरें के सामने मौखिक या लिखित दे सकते हैं जिसकी रिकॉडिंग की जावेगी एंव जनसुनवाई की बैठक के कार्यवृत (Minutes) बनाकर राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मुल्याकंन समिति (SEAC) को भेजा जावेगा उसके बाद वहा निर्णय होगा की पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करनी है या नहीं।

इसके पश्चात खनन परियोजना के पर्यावरणीय/तकनीकी सलाहकार से आग्रह किया की इस खनन परियोजना के बारे में प्रजेन्टेशन के माध्यम से उपस्थित ग्रामवासीयों/जनसमूह को अवगत कराये।

परियोजना के पर्यावरणीय/तकनीकी सलाहकार ने सेण्डस्टोनमाईन क्लस्टर की खदान प्लॉट संख्या 30 (1.290 हैक्टर) उत्पादन क्षमता ROM 116428 टन प्रतिवर्ष की प्रस्तावित परियोजना की मुख्य विशेषताए, खनन योग्य खनिज भण्डार, खनन विधि, खान की आयु, अध्ययन क्षैत्र का

(बलजीत मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
सवाई माधोपुर

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

विवरण, टोपोग्राफी, खनन से होने वाले संभावित पर्यावरणीय प्रभाव और न्यूनीकरण उपाय, पर्यावरण सरक्षण के उपाय, कामगारो के कल्याण के लिए और प्रस्तावित सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) से सम्बधित जानकारी उपस्थित ग्रामवासियों/जनसमूह को बताई गयी।

क्षेत्रीय अधिकारी ने परियोजना सलाहकार को खनन कार्य के दौरान खनिज परिवहन हेतु उपयोग आने वाले वाहन को ढकने एवं खनन पट्टे के चारो तरफ तारबन्दी करने के निर्देश दिये जिससे कि भुलवश मानव अथवा मवेशी खनन क्षेत्र में ना जा पाये एवं दुर्घटना से बचा जा सकें इसी सन्दर्भ में उपखण्ड अधिकारी द्वारा स्पष्ट किया कि बारिश के दौरान माइनिंग पीट पानी से भर जाते है जिनमें छोटे बच्चे अथवा जानवरों का ढुबने का खतरा बना रहा है इसके प्रतिउत्तर में परियोजना सलाहकार द्वारा बताया गया कि खनन कार्य की शुरूआत में सुरक्षा के उद्देश्य से खनन पट्टे के चारो तरफ तारबन्दी की जावेगी एंव कालान्तर में पर्याप्त पत्थर उपलब्ध होने पर पत्थरों की दिवार बनाई जावेगी। उपखण्ड अधिकारी द्वारा भी खनन पट्टे के चारो तरफ तारबन्दी अथवा सुरक्षा दिवार बनाने के फायदे बताते हुऐ कहा कि दिवार होने से आप अनुमत सीमा के बहार खनन कार्य नहीं कर पायेगें एवं सुरक्षा की दृष्टि से उचित रहेगा साथ ही साथ उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिवार के किनारे पानी की निकासी हेतु नाला बनाने के निर्देश दिये।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा खनन पट्टे के चारो तरफ पौधा रोपण करने के निर्देश दिये तथा इसके फायदे बताते हुए कहा की पौधा रोपण से धुल दमन होगा एंव मजदुरो के बैठने के लिए छाव रहेगी, तापमान कम रहेगा जितना अधिक पौधारोपण होगा उतना अधिक लाभ होगा एंव पौधे

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

(बलजीत मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
सवाई माधोपुर

फेन्सिंग का काम करेगें साथ ही साथ सड़क के दोनो किनारो पर पौधा रोपण करने के निर्देश दिये।

इसके उपरान्त क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा ग्रामवासीयों से खनन परियोजना के सन्दर्भ में उनके सुझाव अथवा आपत्तियॉ लिखित या मौखिक रूप से रखने के लिए अनुरोध किया।

श्री बाबुलाल, ग्रांम वासी, – कोटा ने पुछा की प्लॉन न. 30 कौनसी जगह में स्थित है जिसके उपरान्त श्रीमति रचना कुमारी (पटवारी) द्वारा स्पष्ट करते हुऐ कहा कि आज 8 प्लॉट में खनन कार्य की स्वीकृती हेतु जनसुनवाई हो रही है यह 8 प्लॉट दो खसरों (खसरा न. 1532/1619 एवं 1519/1617) में स्थित है। ये सारे 8 प्लॉट आस पास जुडे हुऐ है तथा ये 8 प्लॉट ग्राम रतियापुरा, मनियापुरा एवं बहराउण्डापुरा के पास स्थित है जिसके उपरान्त क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा श्री बाबुलाल को सम्बोधित करते हुऐ कहा की जनसुनवाई में पीछे की तरफ बेनर लगा है उसमें दो खसरा न. 1532/1619 एवं 1519/1617 अकिंत है वहा पर ये खनन पट्टे स्थित है जिनका राजस्व गांव कोटा छावर है इसी की पुष्टि करते हुऐ श्रीमति रचना कुमारी (पटवारी) द्वारा पुनः बताया गया की उक्त खनन पट्टे केवल दो ही खसरों में आवंटित किये गये है जो कि ग्राम रतियापुरा, मनियापुरा एवं बहराउण्डापुरा के पास स्थित है एवं आपके यहा से रतियापुरा, मनियापुरा एवं बहराउण्डापुरा जाने का कोई रास्ता नहीं है इन खनन परियोजना के द्वारा रास्ता बनाने से आपके लिए भी आवागमन सुगम हो जायेगा एवं आपके पास जो वाहन है टेक्टर ट्रोली उनको भी खनन परियोजना में काम मिलेगा तथा पत्थर के काम में भी लोगों को रोजगार मिलेगा।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

(बलजीत मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
सवाई माधोपुर

श्री विजेन्द्र सिंह, कोटा ने पुछा की अगर यह रतियापुरा के पास स्थित है तो रतियापुरा में तो फोरेस्ट भूमि है इसी में श्रीमति रचना कुमारी (पटवारी) द्वारा स्पष्ट करते हुऐ कहा कि रतियापुरा के नाम से फोरेस्ट रेन्ज जरूर है लेकिन फोरेस्ट से इन खनन पट्टों का कोई लेना देना नही है ये खनन पट्टे सवाईचक्क भूमि में स्थित है जो कि कोटा छावर में आती है।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा भी स्पष्ट किया कि वन क्षेत्र की अलग सीमाऐं होती है एवं राजस्व गांव की अलग सीमाऐ होती है। इन खनन पट्टो का खसरा राजस्व गांव कोटा छावर में आता है एंव खनन पट्टे वन भूमि में स्थित नही है इसी कम में उपखण्ड अधिकारी भी स्पष्ट किया की खनन पट्टों से छावर वन की दुरी लगभग 1000 फीट (800–900 फीट) है एवं फोरेस्ट से एन.ओ.सी ली जाती है एवं वन भूमि पर खनन कार्य को अनुमति नही दी जाती है।

इसी के साथ क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जन सुनवाई के दौरान उपस्थित ग्रामवासिओं का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद के साथ पर्यावरणीय जनसुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई।

(बलजीत मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी
सवाई माधोपुर

(अनील कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
करौली

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

जन सुनवाई हेतु नामित पदाधिकारियों, ग्रामवासी / जनप्रतिनिधियों का उपस्थिति पत्र

मैसर्स कोरल एसोसियेटस द्वारा प्रस्तावित Sand Stone (Minor Mineral) खनन परियोजना, मैसर्स कोरल एसोसियेटस प्लॉट न.– 30, खसरा न.– 1532 / 1619, एरिया 1.290 हैक्टर, उत्पादन क्षमता – 116428 टन (ROM), कलस्टर क्षेत्रफल – 9.044 हैक्टर, निकट ग्राम– कोटा, तहसील – मासलपुर व जिला – करौली, (राजस्थान) में स्थित परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 01.07.2026 को आयोजित जनसुनवाई की बैठक।

जनसुनवाई स्थल :– **ग्राम पंचायत – कोटा (छावर) के "भारत निर्माण राजीव गॉधी सेवा केन्द्र", कोटा (छावर), तहसील – मासलपुर, जिला – करौली।**

दिनांक : 01.07.2026.

समय : दोपहर: 1:00 बजे।

उपस्थिति पत्र

क्र.स.	नाम	पद नाम / कार्यालय / ग्राम	मोबाईल नम्बर	हस्ताक्षर
1.	आशु राजपूत		797677888 89	आशु सिंह
2.	रिशांत सिंह	कोटा	~~7878055307~~ 7976771689	रिशांत सिंह
3.	कविता देवी	कोटा छावर	8890815625	[illegible]
4.	[illegible]	कोटा	8949039318	[illegible]
5.	[illegible]	Kote	7665887027	[illegible]
6.	प्रेमचन्द	गोठड़ा	9982756245	प्रेमचन्द
7.	अमरनाथ	छावर	7665277154	अमरनाथ

8.	लक्ष्मीचन्द	छाबर	8619109806	लक्ष्मीचन्द
9.	लक्ष्मणसिंह	छाबर		लक्ष्मणसिंह
10.	वीनोद	कोटा		वीनोद
11.	बाबूलाल	कोटा खेड़ा	9649889553	बाबूलाल
12.	चौथ्या	कोटा		चौथ्या
13.	हरीलाल	कोटा/बावर	9982231976	हरीलाल
14.	रूपसिंह		9411529564	रूपसिंह
15.	आशु रावत	मीरा		आशु सिंह
16.	रिशांत सिंह	कोटा	7976771689	रिशांत सिंह
17.	अमरनाथ	छाबर	7665278134	अमरनाथ
18.	बल्लूलाल	मनीयापुरा	7568044628	बल्लूलाल
19.	RAJ KUMAR KUMAR	JEE RSPCB	8209010513	RAJKUMAR
20.	राजेन्द्र कुमार	छाबर	889008469	राजेन्द्र
21.	अनिलकुमार	उपखण्ड अधिकारी करौली	9828819257	[illegible]
22.	Baljeet Meena	RO, RSPCB, Sawai madhopur	9462239662	[illegible]
23.	रंजीत सिंह	V.D.O. [illegible]	7877064462	Ranjeet singh
24.	स्वना कुमारी	पटवारी कोटा (छाबर)	6375136387	[illegible]

25	Kaynat Alam	Ages Cement P.P.L.	7726891608	(signature)
26	Dal Chand	Udaipur	8003182518	DC
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				

(4) कार्यालय जिला परिषद, करौली। (5) जिला उद्योग केन्द्र, करौली। (6) खनिज अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, करौली।(7) क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सवाईमाधोपुर।
चूंकि, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना बाबत् भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14/09/2006 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर कम से कम 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है। अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन - सुनवाई दिनांक 01.07.2026 को, ग्राम पंचायत कोटा (छावर), तहसील मासलपुर जिला करौली के 'भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र' में समय सुबह 11:00 बजे उपस्थित होकर अपने सुझाव / आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।-इस संबंध मे लिखित सुझाव / आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन से जनसुनवाई से पूर्व तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, सवाई माधोपुर मे भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

आज्ञा से
(बलजीत मीणा) क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल

प्लॉट संख्या 14-15, मीणा कॉलौनी, जेल के पीछे सवाई माधोपुर (राज.) 322001
फोन नं.: 07462-294921 ई-मेल - rorpcb.swm@gmail.com

क्रमांकः रा.प्र.नि.मं./ क्षे.का./ स.मा. /करौली- 1134/353-356 दिनांकः- 13/05/2026

पर्यावरण स्वीकृती हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स कोरल एसोसियेटस Sand Stone (Minor Mineral) खनन परियोजना, प्लॉट न. 30, खसरा नं. 1532/1619, एरिया 1.290 हैक्टर, उत्पादन क्षमता-116428 TPA (ROM), कलस्टर क्षेत्रफल 9.044 हैक्टर, निकट ग्राम- कोटा, तहसील-मासलपुर व जिला-करौली के लिए पर्यावरण स्वीकृति के सम्बंध में जन सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उक्त परियोजना से संबधित पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार निम्न कार्यालयों मे उपलब्ध है:-(1) पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर। (2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। (3) कार्यालय जिला कलक्टर, करौली। (4) कार्यालय जिला परिषद, करौली। (5) जिला उद्योग केन्द्र, करौली। (6) खनिज अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, करौली।(7) क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सवाईमाधोपुर।
चूंकि, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना बाबत् भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14/09/2006 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर कम से कम 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है। अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन - सुनवाई दिनांक 01.07.2026 को, ग्राम पंचायत कोटा (छावर), तहसील मासलपुर जिला करौली के 'भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र' में समय दोपहर 01:00 बजे उपस्थित होकर अपने सुझाव / आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।-इस संबंध मे लिखित सुझाव / आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन से जनसुनवाई से पूर्व तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, सवाई माधोपुर मे भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

आज्ञा से
(बलजीत मीणा) क्षेत्रीय अधिकारी

39 / 11.05.2026 2627WLRC00020 26_RISL_558452_1	RFP for Rate Contract of 2 years for Supply, installation and Commissioing of Surveillance equipment under Abhay Command and Control Project in the State of Rajasthan.	Rs. 100.00 Cr/ EMD as Per RFP	18.06.2026

Details can be seen on the websites **http://risl.rajasthan.gov.in, http://sppp.rajasthan.gov.in, http://doitc.rajasthan.gov.in.** Bids are to be submitted through **http://eproc.rajasthan.gov.in**

Additional Director

राज.संवाद/सी/26/2784

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल

प्लॉट संख्या 14-15, मीणा कॉलोनी, जेल के पीछे सवाई माधोपुर (राज.) 322001
फोन नं.: 07462-294921 ई-मेल - rorpcb.swm@gmail.com

क्रमांकः रा.प्र.नि.मं./ क्षे.का./ स.मा. /करौली- 1134/353-356 दिनांकः- 13/05/2026

पर्यावरण स्वीकृती हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स कोरल एसोसियेटस Sand Stone (Minor Mineral) खनन परियोजना, प्लॉट न. 30, खसरा नं. 1532/1619, एरिया 1.290 हैक्टर, उत्पादन क्षमता-116428 TPA (ROM), कलस्टर क्षेत्रफल 9.044 हैक्टर, निकट ग्राम- कोटा, तहसील-मासलपुर व जिला-करौली के लिए पर्यावरण स्वीकृति के सम्बंध में जन सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उक्त परियोजना से संबधित पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिर्पोट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार निम्न कार्यालयों मे उपलब्ध हैः-(1) पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर। (2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। (3) कार्यालय जिला कलक्टर, करौली। (4) कार्यालय जिला परिषद, करौली। (5) जिला उद्योग केन्द्र, करौली। (6) खनिज अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, करौली ।(7) क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सवाईमाधोपुर।

चूंकि, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना बाबत् भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14/09/2006 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर कम से कम 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है। अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन - सुनवाई दिनांक 01.07.2026 को, ग्राम पंचायत कोटा (छावर), तहसील मासलपुर जिला करौली के 'भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र' में समय दोपहर 01:00 बजे उपस्थित होकर अपने सुझाव / आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध मे लिखित सुझाव / आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन से जनसुनवाई से पूर्व तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, सवाई माधोपुर मे भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

आज्ञा से
(बलजीत मीणा) क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल

प्लॉट संख्या 14-15, मीणा कॉलोनी, जेल के पीछे सवाई माधोपुर (राज.) 322001
फोन नं.: 07462-294921 ई-मेल - rorpcb.swm@gmail.com

1.13 No labour camp
1.14 The User Agency staff working at areas
1.15 The forest land proposal
1.16 The layout plan Central Governm
1.17 The forest land p any other agen Government
1.18 No damage to the
1.19 Any tree felling s supervision of the
1.20 The State Govern Tribes and Other T any, on the forest l by the MoEF
1.21 The user agency in alternate habitat/ project. Bird's nest area, including for diverted for the pro
1.22 The User Agency sh 1st July of every yea
1.23 The State Governme shall submit in this r
1.24 Any other condition from time to time, forests & wildlife
1.25 The User Agency an the all Acts, Rules, Re to the project
1.26 Grant of working pe Government in acc Guidelines dated 28.
1.27 User agency shall re diverted forest land State Forest Departm Agency with the State
1.28 Compensatory affore plantation of 100 trees
1.29 If the proposed area Agency shall be obta provisions of the extar

2. Standard conditions
2.1 The user agency shall central verge at proje The user agency shall indigenous trees, as p plantation), on either s
2.2 The reclamation of qu Department. The qua project is closed.
2.3 Overburden shall not b